रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 1986/भाद्र 6, 1908
No. 184] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1986/BHADRA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 112 आई. टी. सी. (पी एन) /85—88

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1986

विषय:— अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति

फा. सं. 6/90/86—ई. पी. सी.— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या:— आई टी सी (पी. एन)/85—88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:—

क्रम सं.	आयात निर्यात नीति 1985—88 (खण्ड—1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	293	पैरा—32 परिशिष्ट—19	इस पैरे के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "अग्रिम लाईसेंसिंग स्कीम के अधीन सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों का निर्यात । 33. निम्नलिखित निर्यात सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए अग्रिम लाईसेंसों के लिए पात्र होंगे;— (1) स्वर्ण आभूषण का एक पंजीकृत निर्यात जिसका पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान स्वर्ण आभूषणों का न्यूनतम औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन 2 करोड़ रुपए है ।

1	2	3	4

(2) रत्न और आभूषण (स्वर्ण आभूषण से अलावा) का एक पंजीकृत निर्यातक जिसका पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक निर्यात निष्पादन पांच करोड़ रुपए है । वे निजी/सार्वजनिक लि. कम्पनियां जो पहले स्वामित्व / भागीदारी की फर्म्पनियां थीं परन्तु अग्रिम लाईसेंस के लिए आवेदन पत्र की तिथि को निजी / सार्वजनिक लि. कम्पनियां बन गई वे भी ऐसे लाईसेंसों के लिए पात्र होंगी ।

34. 18 कैरट या इससे कम के स्वर्ण और फाईन्डिंगस या माउन्टिंग आदि का आयात सादे तथा जड़ित सोने के आभूषणों के निर्यात के लिए अनुमित किया जाएगा बशर्ते कि सोना, अनुमित छीजन सहित माउन्टिंगस और इसके विनिर्माण में प्रयुक्त परिष्कृत कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों, मणियों और इसके साथ-साथ यदि कोई बहुमुल्य धातुएं हों तो उनके आयात पर दोनों के लिए अलग-अलग 15 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य संयोजन प्राप्त कर लिया गया हो । जबकि सोने आदि के आयात पर अग्रिम लाईसेंसिंग समिति द्वारा निर्यात आभार निर्धारित किया जाएगा सीमाशुल्क यह सुनिश्चय करेगा कि निर्यातित आभूषणों के विनिर्माण में प्रयुक्त परिष्कृत कटे हुए और पालिश किए हुए या मणियों, मोती और प्रयुक्त निवेशों पर 15 प्रतिशत न्यूनतम मूल्य संयोजन भी प्राप्त कर लिया गया है । इस स्कीम के अधीन स्वर्ण आभूषणों के लिए लागू निवेश/उत्पादन मानदण्ड परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध-5 में दिए गए है ।

35. निर्यातिक आभूषणों के निर्माण में प्रयुक्त परिष्कृत और पालिश किए हुए हीरों और अन्य मणियों के मूल्य पर प्रतिभूति के लिए परिशिष्ट–17 में निर्धारित दर पर प्रतिभूति के हकदार होंगे ।

26. सादे/जड़ित स्वर्ण आभूषणों के लिए मदों का आयात आगे और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

(1) ऐसे अग्रिम लाईसेंसों के आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय नई दिल्ली में ही अग्रिम लाईसेंस समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(2) इन निर्यातों के लिए अग्रिम लाईसेंसों के आवेदन केवल विशिष्ट निर्यात आदेशों के लिए ही होंगे ।

(3) "फाईन्डिंगस" और "माउन्टिंग्स" आदि के आयात और निर्यात को अनुमति वास्तविक (नेट से नेट) के आधार पर दी जाएगी और परिशिष्ट 19 के अनुबंध-5 में अनुमेय छीजन का निर्धारण निर्यात किए गए फाईन्डिंग्स और माउन्टिंग आदि के भार पर किया जाएगा ।

(4) ऐसे लाईसेंसों के लिए निर्यात आभार की प्रतिभूति आयात के प्रथम प्रेषित माल की निकासी की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर या प्रथम प्रेषित माल के आयात की तारीख के बाद 30 दिन, इनमें जो भी पहले हो, की जानी होगी । सामान्यतः इस अवधि से आगे निर्यात आभार के लिए और कोई अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी । तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में अपवादात्मक मामलों में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली में अग्रिम लाईसेंसिंग समिति प्रत्येक ऐसे मामले में निर्यात आभार अवधि बढ़ाने पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकती है ।

1	2	3	4
			(5) इन मदों का निर्यात केवल अपरिवर्तनीय साख-पत्र अथवा डिलीवरी पर नकद आधार के मद्दे अनुमित किया जा सकता है। निर्यात आभार से मुक्ति निर्धारित निर्यात आभार की पूर्ति तथा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के प्रमाण दिए जाने के पश्चात ही विचार किया जाएगा।
			(6) ऐसे लाईसेंसों के मद्दे अनुमेय आयात और इन मदों में से बनाए गए माल का निर्यात केवल सीमा-शुल्क अधिसूचना की शर्त "च" में यथा उल्लिखित केवल विशिष्टिकृत क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ही प्रभावी किया जा सकता है।
			(7) ऐसे मामलों में परिशिष्ट 22 के अनुबन्ध 3 के पैरा 15 और 16 के प्रावधानों यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे।
			(8) इन मदों का निर्यात आयात से पहले प्रभावी नहीं हो सकता। इस प्रकार उप-पैरा 24(4) और पैरा 26 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
2. 305	परिशिष्ट—19 का अनुबन्ध 1		उपयुक्त कालमों के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3
143	प्रयोगशाला रसायन	98
144	(18) कैरेट तथा कम का सोना सीट्स, ट्यूब्स, पाईप्स, विभिन्न आकारों में वायर्स 18 कैरेट के और कम और सोने के 18 कैरेट और कम के सोल्डर्स	71.08
145	गोल्ड फाईडिंग्स सहित 18 कैरेट और कम के स्प्रिंग रिंग्स, बोल्ट, रिंग्स क्लैपस, क्लिपस, पोस्टस स्क्रू, कलेक्टस कलक्टस हुक्स स्वीवेल्स, स्प्रिंगस, मशीन द्वारा निर्मित बीड्स, चैटनस, हैडिंग्स, माउंटिंगस, सोकेटस, फ्रेम्स ब्लेक्स (जैसे रिंगस और एयर रिंग ब्लैक्स) डिफोमर्स, सर्कलस तथा सैकल तथा सभी सोने के 18 कैरेट एवं कम के सोल्डर्स।	अध्याय 71

3. 315	परिशिष्ट 19 का अनुबन्ध 5	वर्तमान क्रम सं. 88 के अंत में नीचे दिए उपयुक्त कालमों के अन्तर्गत निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

1	2	3	4	5	6
89	साधारण हस्तशिल्प या मशीन निर्मित स्वर्ण आभूषण	स्प्रिंग रिंगस, बोल्ट रिंगस, क्लैस्पस, क्लिप्स, पोस्टस, स्क्रूज, कलचेज कलैक्टस, हुक्स, स्विवलस, स्प्रिंगस, चैटनस, सर्कलस, सीटस, ट्यूब्स, पाईपस, रॉडस, विभिन्न आकारों में वायर, मशीन निर्मित बीड्स सहित सभी 18 कैरेट्स और कम एवं 18 कैरेट और कम के सोल्डर्स।	1.0	1.02	1.02
90	जड़ित स्वर्ण आभूषण	स्प्रिंग रिंगस, बोल्ट रिंगस, क्लैस्पस, क्लिप्स, पोस्टस, स्क्रूस, कलचेज, कलैक्टस, हुक्स, स्विवलस, स्प्रिंगस मशीन निर्मित बीड्स, चेटनस, सैटिंगस, माउंटिंगस, सोकेटस, फ्रेमस, ब्लैक्स (जैसे रिंग और एयर-रिंग ब्लैंक्स), सर्कलस, सीटस, ट्यूब्स, पाईपस, सैक्शन विभिन्न आकारों में वायर, परफोर्मस, सभी 18 कैरेट और कम एवं 18 कैरेट एवं इससे कम के सोल्डर्स सहित गोल्ड प्राप्तियां (फाईडिंग्स)	1.0	1.03	1.03

1	2	3	4
4.	331	परिशिष्ट 22 का अनुबन्ध 3 पैरा 2	वर्तमान पैरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "इस स्कीम के अन्तर्गत किए गए निर्यातों और सोने की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए जड़े हुए आभूषणों के मामले में 3% तक की सीमा तक विनिर्माण प्रक्रिया में सोने की ह्रास और हस्तशिल्पित और मशीन निर्मित सादे आभूषण के मामले में 2% के ह्रास सहित शुद्ध सोने के मूल्य में 15% और न्यूनतम मूल्य जोड़ा जाएगा। फाईडिंग्स और माउंटिंग्स आदि के मामले में, आयात और निर्मात वास्तविक आधार (नैट से नैट) पर अनुमित किया जाएगा और ह्रास का निर्धारण निर्यातित प्रत्येक फाईडिंग्स और माउंटिंग आदि के स्वर्ण के भार के अनुसार अनुमित किया जाएगा। निर्यात किए जाने वाली मदों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए संगत निर्यात आदेश के संबंध में मूल्य संयोजन की गणना पैरा 5 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट मूल्य पर निर्यातित आभूषणों में शुद्ध सोने की मात्रा के मूल्य को संबद्ध करते हुए की जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 100 रुपए है तो अनुमति छीजन सहित शुद्ध सोने की मूल्य 87 रुपये से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार जड़ित मदों के मामले में शुद्ध सोने का कुल मूल्य जिसमें स्वर्ण ह्रास सम्मिलित है और जिसमें सोने हीरे या रत्न या मोती और इनके साथ-साथ यदि कोई इनके साथ-साथ यदि कोई इनके विनिर्माण में प्रयुक्त अन्य बहुमूल्य धातुएं भी शामिल है तो वहां 100 रुपए जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के मदें 87 रुपए से अधिक नहीं होगी।"
5.	332	परिशिष्ट 22 का अनुबन्ध 3 पैरा 17	इस पैरे का अंतिम वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। "लाईसेंसिंग प्राधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात् रिलीज आदेश जारी करेगा ताकि यदि आवेदन पत्र अन्यथा रूप से ठीक है, तो निर्यातक यथा संयुक्त जड़ित आभूषणों के मामले में 3% तक और हस्तशिल्प या मशीन निर्मित सादा आभूषणों के मामले में 2% तक विनिर्माण प्रक्रिया में सोने के ह्रास सहित निर्यातित मदों के शुद्ध सोने की मात्रा की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकें।"
6.	332	परिशिष्ट 22 का अनुबन्ध 3 पैरा 20	अन्तिम वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "विनिर्माण प्रक्रिया में सोने के ह्रास के लिए छूट जड़ित आभूषणों के मामले में 3% और हस्तशिल्प या मशीन निर्मित सादे आभूषणों के मामले में 2% की दर पर दी जाएगी।"
7.	335	परिशिष्ट 22 के लिए अनुबन्ध 4 पैरा 1	निम्नलिखित को इस पैरे के अन्त में जोड़ा जाएगा :— "(च) जड़ित आभूषणों के मामले में 3% की सीमा तक और हस्तशिल्प या मशीन निर्मित सादा आभूषणों के मामले में 2% तक का विनिर्माण प्रक्रिया में सोने का ह्रास अनुमित होगा। फाईडिंग्स और माउंटिंग आदि के मामले में छीजन का निर्धारण प्रत्येक निर्यातित फाईडिंग्स और माउंटिंगस आदि के सोने के तत्वों के भार पर निर्धारित किया जाएगा। (छ) ऐसे समूह में जड़ित आभूषणों के मामले में 15% का और हस्तशिल्प या मशीन निर्मित सादा आभूषणों के मामले में 10% का न्यूनतम मूल्य संयोजन आवश्यक होगा। इस प्रकार निर्धारित किया गया मूल्य संयोजन उपयुक्त यथा व्यवस्थित सोने के ह्रास के मूल्य सहित निवेश के कुल मूल्य और सोने के आभूषणों के विनिर्माण में प्रयुक्त देशी घरेलू माल के कुल मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, यूनिटों को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के अधीन निर्धारित प्रपत्र में लेखा/विवरणी रखनी पड़ेगी। (ज) मूल्य संयोजन डालरों में परिकलित किया जाएगा।
8.	336	परिशिष्ट 22 के लिए अनुबंध 4 पैरा 8	इस पैरे में माउंटिंगस और "रत्न" शब्दों के बीच निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "फाईडिंगस"
9.	336	परिशिष्ट 22 के लिए अनुबन्ध 4 पैरा 10	वर्तमान पैरे के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "तथापि, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के खंड 32 के प्रावधान ऐसी यूनिटों के लिए लागू नहीं होंगे। समूह के अन्दर मध्यस्थ उत्पादों जैसे तारे, राड, पाईप आदि में यूनिटों के बीच आन्तरिक लेन-देन स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के अधीन यथा निर्धारित यूनिटों द्वारा लेखा रखने की शर्त के अधीन अनुमित किया जाएगा।"

1	2	3	4
10.	337	परिशिष्ट 22 के लिए अनुबन्ध 5 उपपैरा	1(घ) यह उप पैरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:— "(घ) जड़ित आभूषणों के मामले में 3% की सीमा तक और हस्तशिल्प या मशीन निर्मित सादे आभूषणों के लिए 2% तक का विनिर्माण प्रक्रिया में सोने का ह्रास अनुमित होगा फाइंडिंग्स और माउंटिंग के मामले में छीजन का निर्धारण प्रत्येक नियमित फाउंडिंग्स और माउंटिंग्स की सोने के तत्व के भार पर निर्धारित किया जाएगा । (ङ) ऐसी यूनिटों में जड़ित आभूषणों के मामले में 15% और हस्तशिल्प या मशीन निर्मित सादे आभूषणों के मामले में 10% का न्यूनतम मूल्य संयोजन आवश्यक होगा । इस प्रकार निर्धारित किया गया मूल्य संयोजन उपयुक्त यथा व्यवस्थित सोने के ह्रास के मूल्य सहित निर्यात के कुल मूल्य और सोने के आभूषणों के विनिर्माण में प्रयुक्त देसी कच्चे माल के कुल मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, यूनिटों को सोना नियंत्रण अधिनियम, 1968 के अधीन निर्धारित प्रपत्र में लेखा/विवरणी रखनी पड़ेगी । मूल्य संयोजन डालरों में परिकलित किया जाएगा ।"
11.	337	परिशिष्ट—22 के लिए अनुबन्ध—5.1	इस पैरे आठवीं पंक्ति निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:— "फाइंडिंग्स, रत्न तथा मणियां । स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के खण्ड 32 के प्रावधान ऐसे क्षेत्र में लागू नहीं होंगे ।"

राजीव लोचन मिश्र मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 112—ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 28th August, 1986.

Subject : Import & Export Policy for April, 1985—March, 1988.

F. No. 6/90/86—EPC:— Attention is invited to the Import & Export Policy, for April,1985—March, 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC (PN)/85—88, dated the 12th April, 1985 a amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985—88 (Volume-I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	293	Para 32 Appendix 19	The following shall be added after this para:— "Export of Plain and studded Gold Jewellery under Advance Licensing Scheme. 33. The following exporters will be eligible for advance licences for export of Plain and studded Gold Jewellery:— (i) A registered exporter of gold jewellery with a minimum average annual export performance of Rs. 2 crores of gold jewellery during the preceding two financial years.

1	2	3	4
			(ii) A registered exporter of Gem and Jewellery (other than gold jewellery) with a minimum average annual export performance of Rs. five crores dring the preceding three financial years. Those private/public limited companies which were earlier proprietorship/partnership companies but have become private/public limited companies on the date of application for the advance licence.
		34.	Import of gold findings, mountings, etc. and gold of 18 carats and below will be allowed for export of plain and studded gold jewellery provided a minimum value addition of 15% is achieved separately both on the total import of gold, mountings etc. including wastage allowed, and on the finished, cut and polished diamonds, stones, pearls as well as other precious metals if any, used in its manufacture. While the Export Obligation on import of gold etc. will be fixed by the Advance Licensing Committee a minimum value addition of 15% will also have to be achieved on the finished cut and polished diamonds, stones, pearls and other inputs used in the manufacture of the jewellery exported. The input/output norms applicable to export of gold jewellery under this scheme are given in Annexure V to Appendix 19.
		35.	The exporters would be entitled to replenishment on the value of finished cut and polished diamonds and other stones used in the manufacture of the jewellery at the rate prescribed in Appendix 17.
		36.	Import of items for export of plain/studded gold jewellery will be subject to the following further conditions:—
			(1) Applications for such Advance licences will be considered only by the Advance Licensing Committee in the office of the CCI&E, New Delhi.
			(2) Applications for advance licences against these exports will be against specific export orders only.
			(3) Import and Export of "findings" and "mountings" etc. will be allowed on net to net basis and the wastage allowed in Annexure V to Appendix 19 will be determined on the weight of the findings and mountaings etc. exported.
			(4) The Export Obligation against such licences will have to be fulfilled within a period of four months from the date of clearance of the first consignment of import or from 30 days after the date of import of the first consignment whichever is earlier. Normally no further extension of Export Obligation will be granted beyond this period. However in exceptional cases for extenuating circumstances the Advance Licensing Committee in the Office of the CCI&E, New Delhi may consider grant for extension in Export Obligation period on merit of each such cases.

1	2	3	4
			(5) Export of these items can be allowed only against irrevocable letter of credit or against cash-on delivery basis Redemption of Export Obligation will be consider after the fulfilment of the prescribed Export Obligation and after the proof of having realised the foreign exchange is given. (6) Import allowed against such licences and export of goods made out of these items can be effected only through specified Ports as mentioned in Condition 'F' of Customs Notification appended to Annexure I. (7) Provisions of Paras 15 & 16 of Annexure III to Appendix 22 will mutatis-mutandis be applicable in such cases. (8) Exports of these items cannot be effected before imports. As such provisions of sub-para 24(4) and Para 26 will not be applicable. Other provisions of Appendix 19 will be applicable to these Advance licences also."

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	305	Annexure—I to Appendex 19	The following shall be added at the end under the appropriate columns as under:—	

(1)	(2)	(3)
"143.	Laboratory Chemicals	98
144.	Gold of 18 carats and below sheets—tubes, pipes, wires in different shapes of 18 carats and below and solders of gold of 18 carats and below.	71.08
145.	Gold findings including spring rings, bolt ring, clasps, clips. posts, screws, clutches, collets, hooks, swivels, springs, machine made beads, chatons settings, mountings, sockets, frames, blanks (such as ring and ear-ring blanks) preforms. circles and shanks all of gold of 18 carats and below and solders of 18 carats and below."	71

3.	315	Annexure V to Appendix 19	The following shall be added at the end of Sl. No. 88 under the appropriate columns as under:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"89.	Plain hand crafted or machine made gold jewellery.	Gold of 18 carats and below including spring rings, belt rings, clasps, clips, posts, screws, clutches, collets, hooks, swivels, springs, chatons, circles, sheets, tubes, pipes, shanks, wire in different shapes, machine-made beads, all of 18 carats and below and solders of 18 carats and below.	1.0	1.02	1.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
90.	Studded Gold Jewellery	Gold findings, including spring rings, bolt rings, clasps, clips, posts, screws, clutches, collets, hooks, swivels, springs, machine-made beads, chatons, settings, mountings, sockets, frames, blanks (such as ring and ear-ring blanks), circles, sheets, tubes, pipes, shanks, wire in different shapes, preforms, all of 18 carats and below and solders of 18 carats and below.	1.0	1.03	1.03"

1	2	3	4
4	331	Annexure III to Appendix 22 Para 7	The existing para shall be substituted by the following:— "The minimum value addition of 15% over the value of pure gold content including the loss of gold in the manufacturing process to the extent of 3% in case of studded jewellery and 2% in case of handcrafted and machine-made plain Jewellery will be insisted upon in respect of export made under this scheme and for the purpose of replenishment of gold. In case of findings and mountings, the Import & Export will be allowed on net to net basis and the wastage allowed will be determined on the weight of gold content of each findings and mountings etc. exported. The value addition will be calculated by relating the value of pure gold content in the Jewellery exported at the price indicated in the certificate referred to in para 5 in respect of relevant export order, to the f.o.b. price of items to be exported. For example, if the f.o.b. price is Rs. 100, the value of pure gold including wastage allowed shall not be more than Rs. 87. Similarly, in case of studded items, the total value of pure gold including loss of gold, stones or gems or pearls as well as other precious metals, if any, used in their manufacture, would be not more than Rs. 87 against the f.o.b. price of Rs. 100."
5.	332	Annexure III to Appendix 22 Para 17	The last sentence of this para shall be substituted by the following :— "The Licensing Authority, after verifying the prescribed documents, issue a release order so as to enable the exporter to secure the replenishment of the pure gold content of the items exported including the loss of gold in the manufacturing process to the extent of 3% in case of studded jewellery and 2% in case of handcrafted or machine-made plain jewellery as above, if the application is otherwise in order."
6.	332	Annexure III to Appendix 22 Para 20	The last sentence shall be substituted by the following:— "An allowance for the loss of gold in the manufacturing process will be made at the rate of 3% in case of studded jewellery and 2% in case of handcrafted or machine-made plain jewellery."

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	335	Annexure IV to Appendix 22 Para 1	The following shall be added at the end of this para :— "(f) Loss of gold in the manufacturing process to the extent of 3% in case of studded jewellery and 2% in case of handcrafted or machine-made plain jewellery will be allowed. In case of findings and mountings etc. the wastage allowed will be determined on the weight of gold contained of each findings and mountings etc. exported. (g) A minimum value addition of 15% in case of studded jewellery and 10% in case of handcrafted or machine-made plain jewellery will be necessary in such a complex. The value addition so prescribed will be determined on the total value of inputs including velue of loss of gold as provided above and indigenous raw-materials used in the manufacture of gold jewellery. For this purpose, the units will have to maintain accounts/returns in the forms prescribed under the Gold Control Act, 1968. (h) The value addition shall be computed in terms of dollars."
8.	335	Annexure IV to Appendix 22 Para 8	In this para between the words "mountings" and "gems" the following shall be inserted :— "Findings"
9.	336	Annexure IV to Appendix 22 Para 10	The following shall be added at the end of the existing para :— "The provisions of Section 32 of the Gold Control Act, 1968 will, however, not be applicable to such units. Inter-units transactions in intermediate products like wires, rods, pipes, etc. within the complex will be permitted subject to accounts being maintained by the uiits as prescribed under the Gold Control Act, 1960."
10.	337	Annexure V to Appendix 22 Sub-para 1(c)	The sub-para shall be substituted by the following :— "(d) Loss of gold in the manufacturing process to the extent of 3% in case of studded jewellery and 2% for handcrafted or machine-made plain jewellery will be allowed. In case of findings and mountings, etc. the wastage allowed will be determined on the weight of the gold content of each findings and mountings exported. (e) A minimum value addition of 15% in case of studded jewellery and 10% in case of handcrafted or machine-made plain jewellery will be necessary in such a unit. The value addition to prescribed will be determined on the total value of inputs

1	2	3	4
			including value of loss of gold as provided above and indigenous raw-materials used in the manufacture of Gold Jewellery. For this purpose, the units will have to maintain accounts/returns in the forms prescribed under the Gold Control Act, 1968. The value addition shall be computed in terms of dollars."
11.	337	Annexure V to Appendix 22 Para 5.1	The eight line of this para shall be substituted by the following "findings, gems and stones. The provisions of Section 32 of the Gold Control Act, 1968 will not be applicable to such Zones".

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986